



# जालौन पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution



#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दिलीप कुशवाहा पुत्र पप्पू उर्फ विनोद कुशवाहा निवासी मो0 चुर्खीवाल थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा वादिया की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 324/18 (वाद संख्या – 101/18) धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त दिलीप उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 05.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/पॉस्को द्वितीय उर्द्द, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दिलीप उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2018 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 05 वर्ष 02 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल बृजराज सिंह राजपूत



कोर्ट पैरोकार सुबोध कुमार